न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 652–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 21–1–2016 पारित द्वारा तहसीलदार, तहसील ग्वालियर प्रकरण कमांक 4/14–15/अ–27.

1– मुन्ना लाल अग्रवाल पुत्र हरचरन लाल अग्रवाल
निवासी लक्ष्मीगंज, लश्कर, ग्वालियर
2– राजेश कुमार जैन पुत्र कृष्ण जैन
निवासी दाल बाजार, लश्कर, ग्वालियर .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– रोहित योगेन्द्र इन्टर प्राईजेज द्वारा
पार्टनर योगेन्द्र सिंह कुशवाह
पुत्र रामबाबू कुशवाह
निवासी मेंहदीवाला सैयद
गोल पहाड़िया, लश्कर, ग्वालियर
2– अवतार सिंह पुत्र बच्चनलाल
निवासी घासमण्डी किलागेट, ग्वालियर
3– प्रेमशरण पुत्र पुत्र बच्चनलाल
निवासी किलागेट, ग्वालियर
4– कमल किशोर पुत्र उल्फतराव शिवहरे
निवासी रतन कॉलौनी
जीवाजीगंज, लश्कर, ग्वालियर
5– बृजमोहन दिवाकर पुत्र मोतीलाल दिवाकर
निवासी फोर्ट रोड, किलागेट, ग्वालियर .....अनावेदकगण

श्री विनोद श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री किशोर कुशवाह, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 10/8/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, तहसील ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–1–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार, ग्वालियर के समक्ष उभय पक्ष के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि ग्राम कोटा, लश्कर तहसील व जिला ग्वालियर सर्वे नं. 25 के बटवारा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 4/14–15/अ–27 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदकगण द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 के अंतर्गत पक्षकार बनने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा दिनांक 21–1–2016 को आदेश पारित कर आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में उनके पक्ष में विकय अनुबंध पत्र निष्पादित हुआ है, इसलिए वे प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार है, अतः उन्हें पक्षकार बनाया जाना चाहिए, परन्तु तहसील न्यायालय द्वारा उनका आवेदन पत्र निरस्त करने में अवैधानिक कार्यवाही की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आवेदक को पक्षकार मान्य किया गया है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण को पक्षकार नहीं बनाये जाने से उन्हें सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है ।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि संहिता की धारा 178 के अंतर्गत बटवारे की कार्यवाही सह भूमिस्वामियों के मध्य होती है, और आवेदकगण प्रश्नाधीन भूमि में सह भूमिस्वामी नहीं हैं, इसलिए उन्हें पक्षकार बनाये जाने का कोई औचित्य नहीं है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि संयुक्त खाते की भूमि बिना बटवारे के विकय नहीं हो सकती है, अतः ऐसे विकय अनुबंध पत्र के आधार पर आवेदकगण को हितबद्ध पक्षकार मान्य नहीं किया जा सकता है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया

गया कि आवेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय में प्रचलित कार्यवाही को लम्बित रखने के उद्देश्य से निगरानी प्रस्तुत की गई है, जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष आवेदकगण द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 के अंतर्गत प्रश्नाधीन भूमि का विकय अनंबंध पत्र उनके पक्ष में होने के कारण हितबद्ध व्यक्ति होने से पक्षकार बनाये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, और तहसीलदार द्वारा दिनांक 21–1–2016 को पारित आदेश में केवल यह उल्लेख किया गया है कि आवेदन पत्र पर प्रस्तुत लिखित बहस का अवलोकन किया गया, आवेदन पत्र अस्वीकार किया जाता है । इस प्रकार तहसीलदार द्वारा सकारण बोलता हुआ आदेश पारित नहीं किया गया है कि किन कारणों से उनके द्वारा आवदन पत्र निरस्त किया गया है । अतः इस प्रकरण में यह विधिक एवं न्यायिक आवश्यकता है कि तहसीलदार का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे आवेदकगण की ओर से व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र पर उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर देते हुए सकारण बोलता हुआ आदेश पारित करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, तहसील ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–1–2016 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण हेतु तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर